न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>अपील / टीए / 6702 / 2006 / करौली</u>

1— सियाराम पुत्र मनोहरी मृतक जरिए वारिसानः—

1 / 1— मु0 रामश्री बेवा सियाराम

1 / 2— गुमान पुत्र सियाराम

1 / 3— ऋषिकेश पुत्र सियाराम

1 / 4— राजवीर पुत्र सियाराम नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता रामश्री बेवा सियाराम

2— मु0 मीरा बेवा राधेश्याम

3— देशराज पुत्र राधेश्याम नाबालिग जरिए संरक्षक वली माता मु. मीरा बेवा राधेश्याम

समस्त जाति मीणा निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

—अपीलांटस

बनाम

1— घासीराम पुत्र जयफूल जाति मीणा निवासी खेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

—रेस्पोडेन्ट

<u>खण्डपीठ</u>

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री समीर अहमद, अधिवक्ता रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 27.06.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 239 / 2004 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने प्रतिवादी / रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम के

समक्ष पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडी तहसील टोडाभीम में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 989 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादी है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी का किसी प्रकार का संबंध व अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2004 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गई। दौराने अपील वादी मनोहरी का स्वर्गवास होने पर अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी व साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2006 द्वारा खारिज करते हुए मृतक मनोहरी के कायम मुकाम की कार्यवाही समय पर नहीं किए जाने के कारण अपील को अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी को अपने अस्पष्ट एवं कारण रहित आदेश से निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र कायम मुकाम में यह आधार लिए थे कि अपीलांट को पूर्व में यह जानकारी नहीं थी स्व0 मनोहरी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई अपील कर रखी है। अपीलांट को अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील की जानकारी स्व0 मनोहरी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा भेजे गए पत्र देने पर हुई तब अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क कर अविलंब कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा साथ ही धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के प्रार्थना

पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही कोई काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रार्थना पत्र में कहे गए कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलीय न्यायालय को अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत् कायम मुकाम को स्वीकार करते हुए स्व0 मनोहरी के वारिसान को अपील में रिकार्ड पर लेने का आदेश पारित करना चाहिए था जिसे निरस्त किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि किसी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के पश्चात् कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रकरण स्वतः ही अबेट हो जाता है तथा उक्त अबेटमेंट को निरस्त करने के लिए 60 दिवस में कार्यवाही करनी पड़ती है, जैसा कि आर्टिकल 121 मियाद अधि0 में प्रावधान है अपीलांट द्वारा उक्त अवधि में अबेटमेंट सेट असाइड का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। आदेश 22 सीपीसी के प्रावधानों को उदारता से स्वीकार करते हुए अपील को गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिए थी। अपीलांट अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति है जिनको कानूनी बारीकियों की जानकारी नहीं होती है कि किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर निर्धारित अवधि में कायम मुकाम की कार्यवाही करनी पड़ती है। अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2006 को निरस्त किया जावें तथा प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहां गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (2) 2004 पेज 623, आरआरडी 1994 पेज 185, आरआरडी 1993 पेज 42, आरबीजे (12) 2005 पेज 283 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए जिनका हमनें ससम्मान अवलोकन किया ।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें उन्होंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि मनोहरी की मृत्यु दिनांक 22.06.2005 को हो गई थी। जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें उन्होंने यह कारण बताए है कि उन्हें अपील के बारें में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी किन्तु यह सही नहीं है क्योंकि मनोहरी के

बीमार होने पर उसका पुत्र सियाराम ही उसकी ओर से प्रकरण व अन्य मुकदमों में पैरवी करता रहा है। अपीलांट की ओर से अबेटमेंट को सेट असाईड कराने के लिए आदेश 22 नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने के पश्चात् निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2009 (2) आरआरटी पेज 946 सुप्रीम कोर्ट, 2010 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज 849, 2010 डीएनजे पेज 1045 सुप्रीम कोर्ट, 2017 आरबीजे पेज 386 सुप्रीम कोर्ट आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए जिनका हमनें ससम्मान अवलोकन किया ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन/अवलोकन किया।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट मनोहरी द्वारा उप जिला कलेक्टर, टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.10.2004 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील दिनांक 20.11.2004 में पेश की गई थी । अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट मनोहरी का देहांत 22.06.2005 को हो गया था । इसके बावजूद अपीलांट मनोहरी के विधिक वारिसान वर्तमान अपीलांटस द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2006 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 जा0दी0 के तहत पेश किया मियाद को कंडोन के बाबत् भी प्रार्थना पत्र पेश किया है । इस संबंध में भारतीय मियाद अधिनियम 1963 के आर्टीकल 120 में यह प्रतिपादित किया गया है कि— ''यदि आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दायर किया जाता है तो वह पक्षकार जिसकी मृत्यु के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, मृत्यु की तिथि से 90 दिवस के अंदर पेश करना चाहिये । हस्तगत प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र 90 दिवस की अवधि के भीतर पेश नहीं किया गया है । इस कारण अपील अबैट हो जाती है । जहां तक अबेटमेंट को सेटेसाईट कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रश्न है । आर्टीकल 121 के अनुसार अबेटमेंट को सेट—असाइट कराने के लिए प्रार्थना पत्र अपील अबेट होने से 60 दिवस के अंदर पेश करना आज्ञापक है । इस

संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनोहरी की मृत्यु दिनांक 22.06.2005 से 90 दिवस दिनांक 22.09.2005 को अपील अबेट हो चुकी थी । जबकि वर्तमान अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 दिनांक 22.04.2006 को निर्धारित अवधि गुजर जाने के पश्चात् पेश किया गया है । इसके अलावा सेक्शन 121 के प्रावधानों के अनुसार अबेटमेंट को सेट–साइट कराने के लिए 60 दिवस की अवधि में आदेश 22 नियम 3 व 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आज्ञापक है किन्तु उक्त प्रकरण में अपीलांटस द्वारा उक्त निर्धारित दिनांक 22.11.2005 तक उनके द्वारा आदेश 22 नियम 3, 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । हस्तगत प्रकरण में मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा समयावधि में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से अपील दिनांक 22.09.2005 को स्वतः ही अबेट हो चुकी थी तथा उक्त अबेटमेंट को सेट–असाइट कराने हेतु निर्धारित अवधि 60 दिवस में प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर दिनांक 22.04.2006 को पेश किया है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांटस ने मियाद अधि0 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अवश्य पेश किया है किन्तु विलंब के संबंध में जो कारण अंकित किये है वे ठोस एवं उचित कारण नहीं होने से अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3, 9 जा0दी0 खारिज करते हुए अपील को अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है, जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है ।

9– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2006 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष